



कार्यालय
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लोक भवन, लखनऊ



संख्या

दिनांक

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग



कृपया श्रीमती रामसर्खी कठेरिया, मा० पूव विधायक, अलीगढ़ के संलग्न पत्र दिनांक 15.05.2025 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा उ०प्र० के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों के प्रथम परिनियमावली में शिक्षकों के लिये असाधारण अवकाश के प्राविधानमें आंशिक संशोधन कर वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

यह पत्र मा० मुख्यमंत्री जी से मिलकर दिया गया है।

प्रकरण काफी समय से लम्बित है। क्या कठिनाई है? कृपया परीक्षणोपरान्त मुख्यमंत्री कार्यालय से समय प्राप्त कर मा० मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

संलग्नक—यथोक्त

17-05-2025

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
उ०प्र० श्रीमती

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-2

मिठ्ठ भुवनेश्वरी न)

कृष्ण विजय

रामसखी कठेरिया

रामसखी प्रधानक (कोल)

प्रदेश अध्यक्ष : कठेरिया सांग ज कल्याण समिति
अध्यक्ष : गाल प्रभिक फलयाण संस्थान
दलाहालकार समिति, अलीगढ़

सदस्य : परामर्श स्थाई समिति

कृष्ण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण

व समाज फलयाण इव परिवार कल्याण बाल विकास
विधान मण्डल की मार्दानिस उपलब्ध इव

निगम संयुक्त समिति



RK:

16.5.20

(डॉ दिनेश शासी)

B-901, ओ. टी. अट.
लखनऊ
लालद, उच्चसमा फोन- 201347
कृष्ण उप सुद, डी.एल.पा. 18/19, रम भवन
गोधी नगर, अलीगढ़-202 001
फोन- 412121



15.5.2020

दिनांक

सेवा में,

मार्ग मुख्यमंत्री जी,

उत्तर प्रदेश।

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों के प्रथम परिनियमावली में शिक्षकों के लिये असाधारण अवकाश के प्राविधिक में आंशिक संशोधन कर वेतन बढ़ियां अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों के लिये अवकाश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2018" निर्गत किया गया है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों के लिये अनुमन्य अवकाश उपरोक्त यू०जी०सी० नियमन, 2018 के आधार पर शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 द्वारा अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 द्वारा निर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के परिनियमों के अन्तर्गत शिक्षकों को 05 वर्ष का असाधारण अवकाश अनुमन्य है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों को प्रथम परिनियमावली में शिक्षकों को अनुमन्य असाधारण अवकाश देतन रहित है, किन्तु इसके अतिरिक्त असाधारण अवकाश की वेतन बढ़ियां भी अनुमन्य नहीं हैं। शिक्षकों के राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न पदों पर नियुक्त होने की दशा में असाधारण अवकाश का उपभोग किये जाने की अवधि की वेतनबढ़ियां अनुमन्य नहीं होने के कारण पुनः अपने भूल विभाग/तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर उनको वित्तीय

रामसखी कॉर्टेरिया

विद्यालयक (कोल)

प्रदेश अध्यक्ष : कॉर्टेरिया समाज व व्यापार समिति
अध्यक्ष : बाल श्रमिक कलशारा । ५० ।

सत्ताहाकार समिति, भ. ३००.

सदस्य : परामर्श न्याई समिति

कृषि, अनुभूति आर्थि व गति कल्याण

व रामान कल्याण ए। देवता कल्याण बाल विकास

विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम ए।

निगम नियुक्त तथापि



१८-१९, ओ. सी. आर.

लखनऊ

फोन- २०३४७

१८/१९, राम भवन

गाँधी नगर, अलीगढ़-२०२ ००१

फोन- ४१२१२१

१५. ५. २५

दिनांक

हानि होती है। शिक्षकों द्वारा जनहित में उपभोग किये गये असाधारण अवकाश का प्रतिकूल प्रभाव उनकी वेतन सम्बन्धी परिवर्तियों पर पड़ता है, जिसके कारण उनका वेतन अपने समकक्ष शिक्षकों से कम हो जाता है, जो एक विसंगति है।

३- भारत के संविधान के अन्तर्गत स्थापित संघीय अथवा राज्य विधान मण्डल के सदस्य होने अथवा कुलपति के पद पर नियुक्त होने अथवा संघ या राज्य सरकार द्वारा घोषित किये गये राष्ट्रीय महत्व के पदों पर संघ अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने को दशा में ऐसे शिक्षकों द्वारा उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की अवधि की वेतन वृद्धियां उसी प्रकार अनुमन्य किया जाना आवश्यक है, जिस प्रकार उन्हें मूलपद पर कार्य करते हुए अनुमन्य होती है।

४- शासनादेश दिनांक २८ फरवरी, २०१८ द्वारा भारत का संविधान के अन्तर्गत स्थापित संघीय अथवा राज्य विधान मण्डल के सदस्य तथा संघ या राज्य सरकार द्वारा कला/विज्ञान/साहित्यक/सांस्कृतिक/खेल आदि संगठनों/शैक्षिक संस्थानों/आयोगों में निर्धारित राष्ट्रीय महत्व के पदों पर नियुक्त शिक्षकों को अधिकतम ०५ वर्ष का 'विशेष अवकाश' अनुमन्य किये जाने का उल्लेख है। विशेष अवकाश की अवधि में वेतन वृद्धियां अनुमन्य की गयी है।

५- उपर्युक्त विषय पर महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्णय लिये जाने का अनुरोध अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है, किन्तु अद्यतन कोई प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः प्रदेश के शिक्षकों के हित में निम्न प्रकरण पर कृपापूर्वक विचार किये जाने का अनुरोध है:-

राज्य विश्वविद्यालयों के परिनियमों में शिक्षकों के लिये अनुमन्य असाधारण अवकाश के वर्तमान प्रावधानों में यह संशोधन कर दिया जाय कि शिक्षकों के राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न पदों पर नियुक्त होने की दशा में असाधारण अवकाश का उपभोग किये जाने की अवधि की वेतनवृद्धियां अनुमन्य करते हुए वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

रामसखी कठेरिया

१०८ फ्लोर

प्रदेश अध्यक्ष - कठेरिया नगर

अध्यक्ष - पाल प्रभिक केन्द्र

सलाहकार समिति

सदस्य : परामर्शी लेपाई समि

न उपर्युक्त

सम्पर्क

कर्ती उ

नियम समुदाय समि



B-901 ओ टी. आर.

सत्रहतु

फोन - २०३४२

१०/१९, राम भवन

गोपी नगर, अस्सीगढ़ - २०२ ००१

फोन - ४१२१२१

15.5.25

दिनांक

शिक्षकों को हित में सरकार द्वारा उक्त साम्र अनुमन्य किये जाने द्वारा
ठच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का शिक्षक समुदाय सदैव आभारी रहेगा।

भवदीया,

(मृदा)

(रामसखी कठेरिया)

रामसखी कठेरिया नगर उक्त साम्र अनुमन्य कार्य घोषणा द्वारा